बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ११ मार्च, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

---

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

## Short-Notice Questions and Answers.

---

### NON-PAYMENT OF SALARY OF THE TEACHERS OF THE PURNEA DISTRICT BOARD.

30. **Shri ANATH KANTA BASU:** Will the Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have come to know that teachers under the Purnea District Board have not been paid their salaries since August, 1952;

(*b*) whether these teachers are in great trouble for non-payment of their salaries;

(*c*) if the answers to clauses (*a*) and (*b*) be in the affirmative, what steps Government are going to take to redress the grievances of the teachers;

(*d*) whether Government are making arrangements to pay off the long-standing arrear-cess of the said District Board to ensure early payment of its staff as above?

**Shri BHOLA PASWAN:** (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) It is reported that the school teachers are in trouble for the non-payment of salaries.

(*c*) Government are considering to give a suitable note to the Purnea District Board to make payment to the school teachers.

(*d*) Government have already sanctioned an advance of Rs. 2 lacs for the year 1950-51 against the arrear-cess. Recently Government in the Revenue Department have also sanctioned a grant of Rs. 2 lacs against the cess payable in respect of tauzis or share of tauzis vested in the State Government under the Bihar Land Reforms Act, 1950. The question of making further loan to the District Board on the security of unrealised cess is also engaging the attention of the Government.

श्री अनाथ कान्त वसू—गवर्नमेंट ने जो दो लाख रुपया देने का विचार किया है वह रुपया कब तक दिया जायगा ?

श्री भोला पासवान—रुपया मंजूर हो गया है । गवर्नमेंट का ऑर्डर चला गया है । पेमेंट में जो देर लगे ।

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर नकारात्मक है। बिहार पंचायत राज योजना दिसम्बर, १९४८ से लागू की गई है।

(ख) उत्तर नकारात्मक है। अभी तक ३,१३५ अधिसूचित (नोटिफायड) और ३,०१८ अनधिसूचित पंचायत कायम हैं। करीब १८,०७० गांव सम्मिलित हैं।

(ग) उत्तर नकारात्मक है।

(घ) उत्तर स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान प्रगति के अनुसार करीब-करीब ७ वर्ष और लग जायेंगे। सरकार इस रफ्तार को और तेज करने के लिए सोच रही है।

श्री दुलार चन्द राम—क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम पंचायत संचालन का कार्य विवरण सरकार के पास आता है या नहीं?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दुलार चन्द राम—मैं यह जानना चाहता हूँ.....?

अध्यक्ष—जानना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इस प्रश्न के जरिए सब कुछ जानना संभव नहीं है। (हंसी।)

ग्राम पंचायत के चीफ ऑफिसरों को चोरों को पकड़ने का अधिकार।

*७६३। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार सोच रही है कि चीफ ऑफिसरों को बदमाशों, चोरों आदि को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाय, यदि हां, तो कब से?

श्री भोला पासवान—इसका उत्तर नकारात्मक है।

राज्य के यूनियन बोर्डों को तोड़ कर पंचायतों में मिलाया जाना।

*७६४। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि राज्य के प्रायः सब यूनियन बोर्डों को तोड़ कर पंचायत राज्य में मिलाया जाय, यदि हां, तो अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित कब तक सरकार करना चाहती है?;

(ख) क्या यह बात सही है कि जिन-जिन यूनियन बोर्डों के समीप जो-जो ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं, उन पंचायतों के काम में यूनियन बोर्डों के रहने से कठिनाई होती है और उन पंचायतों के अनुरोध करने पर भी यूनियन बोर्डों को तोड़ कर सरकार ने पंचायत में मिलाने की नहीं आज्ञा दी है;

(ग) यदि खंड (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसका क्या कारण है?

श्री भोला पासवान—(क) सरकार अभी उन्हीं युनियन बोर्डों को तोड़ने का विचार कर रही है जो बिलकुल ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। बाकी युनियन बोर्ड अभी रखे जायेंगे। कब तक युनियन बोर्ड टूटेंगे इसका कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यह बात सही है कि युनियन बोर्ड के क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं उनके काम में युनियन बोर्ड के रहने से कठिनाई होती है। प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) खंड (क) और (ख) के उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर तिवारी—अभी जो उत्तर में बताया गया उसके बरखिलाफ चम्पारण में सुगौली युनियन बोर्ड को वहां पंचायत रहने के बावजूद भी रहने दिया गया है।

श्री भोला पासवान—यह तो एक सूचना दे रहे हैं।

अध्यक्ष—उत्तर था देहाती क्षेत्रों में।

श्री राम सुन्दर तिवारी—जी हां, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा होते हुए भी चम्पारण के सुगौली देहात के क्षेत्र में युनियन बोर्ड को क्यों रखा गया है ?

श्री भोला पासवान—हमने उत्तर दिया कि युनियन बोर्ड के क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतें बन चुकी हैं उनके काम में युनियन बोर्ड के रहने से कठिनाई होती है और उनको तोड़ने का विचार किया जा रहा है और प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष—सुगौली का प्रश्न कहां आता है ?

श्री राम सुन्दर तिवारी—जवाब में कहा गया है।

अध्यक्ष—ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही गई है। सुगौली तो आपने कहा।

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—सरकार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह ऐसा करने जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वे शहरी क्षेत्र कौन-कौन हैं जहां युनियन बोर्ड रखने की बात है ?

श्री भोला पासवान—यह खबर अभी हमारे पास नहीं है।

श्री सरयुग प्रसाद—क्या यह सही बात है कि युनियन बोर्डों के क्षेत्रों में जहां नई पंचायतों का निर्माण हो गया है और जहां युनियन बोर्ड के पुराने चुनाव की अवधि समाप्त हो गई है, युनियन बोर्ड के नये चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है ?

श्री भोला पासवान—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पंचायतों की संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी एफिसियन्सी भी बढ़ाने की बात सोची जा रही है ?

श्री भोला पासवान—यह तो कोई नई बात नहीं है। यह तो होता ही है।

---

सहरसा जिले में पाट की खेती।

*७६७। श्री रमेश झा—क्या मंत्री, विकास (कृषि) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) सहरसा जिले में कितने एकड़ में गत वर्ष पाट की खेती हुई थी और कितनी पैदावार हुई थी ;

(ख) क्या सरकार बतायेगी कि कम पैदावारी का क्या कारण है तथा उन कारणों को अविलम्ब दूर करने का कौन-सा उपाय सोचा जा रहा है ?

श्री वीर चन्द पटेल—(क) १९५२-५३ में सहरसा जिले में ६४,७८४ एकड़ जमीन में पाट की खेती हुई और ९४,५८५ गांठ पाट पैदा हुआ।

(ख) पाट की कम पैदावार का कारण पाट के मूल्य का गिर जाना ही है। चूंकि अन्य राज्यों में भी जूट उपजाया जाता है, इसलिए बिहार सरकार जूट की कीमत स्थिर करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है और न ऐसी कार्रवाई करने का उसको अधिकार ही है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बिहार सरकार को और दूसरी सरकारों के साथ विचार करना है। बिहार सरकार इस कठिन परिस्थिति से अवगत है।

---

RESEARCH SCHEME FOR TRAINING OF YOUNG FARMERS.

*769. **Shri RAM JANAM MAHTON :** Will the Minister, incharge of the Development (Agriculture) Department, be pleased to state—

(*a*) when the Research Scheme for training of young farmers was started and where it has been located ;

(*b*) the number of young farmers that are being trained at present ;

(*c*) the minimum educational qualification for admission and the period of training ;

(*d*) whether the trainees are required to pay any tuition fee ;

(*e*) what is the prospect of the trained young farmers with respect to getting Government jobs ?

**Shri BIR CHAND PATEL :** (*a*) No such scheme is functioning under the State Government.

(*b*) to (*e*) Question does not arise.